

प्रेस-विज्ञप्तिरानी की सरायहत्या का आरोपी गिरफ्तार, अवैध कट्टा व कारतूस भी बरामद।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा वांछित, इनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल निर्देशन में दिनांक- 24.07.2021 को उ०नि० अरविन्द कुमार यादव मय राह द्वारा मु०अ०सं०- 247/18 धारा 302 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त की तलाश व देखभाल क्षेत्र में मामूर होकर ऊची गोदाम चौराहा पर मौजूद थे कि मुखबिर खास द्वारा बताया गया कि साहब एक व्यक्ति काजी भीटी पुलिया के पास खड़ा है जिसके पास अवैध असलहा है। अगर आप शीघ्रता करे तो पकड़ा जा सकता हो इस सूचना पर पुलिस वाले द्वारा काजीभीटी पुलिया से एक व्यक्ति दीपक सिंह उर्फ बब्लू पुत्र रामनयन सिंह सा० रुदरी थाना रानी की सराय आजमगढ़ को समय 8.40 बजे को नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। जिसके कब्जे से एक अदद नाजायज तमन्चा प्रतिबन्धित 303 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 303 बोर बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा० न्यायालय किया गया।

पूछताछ का विवरण – दीपक सिंह उर्फ बब्लू पुत्र रामनयन सिंह सा० रुदरी थाना रानी की सराय आजमगढ़ पूछताछ पर बताया कि साहब गलती हो गयी।

पंजीकृत अभियोग –

1- मु०अ०सं० 88/2021 धारा 3/7/25 आयुध अधिनियम थाना रानी की सराय आजमगढ़

आपराधिक इतिहास –

1. मु०अ०सं०- 247/18 धारा 302 भादवि थाना गंभीरपुर, आजमगढ़
2. मु०अ०सं०- 26/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना निजामाबाद आजमगढ़,
3. मु०अ०सं०- 164/19 धारा 302 भादवि थाना रानी की सराय, आजमगढ़

बरामदगी –

1. एक अदद कट्टा व एक अदद जिन्दा कारतूस 303 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त –

1. दीपक सिंह उर्फ बब्लू पुत्र रामनयन सिंह सा० रुदरी थाना रानी की सराय आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1. उ०नि० अरविन्द कुमार यादव थाना रानी की सराय, आजमगढ़
2. का०दीपक यादव थाना रानी की सराय, आजमगढ़
3. का० दीपांशु थाना रानी की सराय, आजमगढ़

थाना-रौनापारनाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाला गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह के आदेश के अनुपालन में व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, क्षेत्राधिकारी सगड़ी व प्रभारी निरीक्षक रौनापार के नेतृत्व में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मय फोर्स द्वारा दिनांक 24.07.2021 को बैदौली तिराहा के पास से समय करीब 09.50 बजे मु०अ०सं० 125/21 धारा 376 भादवि व ¾ पास्को एक्ट सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अविनाश पुत्र हंसराज निवासी दयालगंज (सिवान) थाना रौनापार आजमगढ़ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा० न्यायालय किया गया।

पूछताछ का विवरण – अभियुक्त उपरोक्त से पूछताछ पर जुर्म से इंकार करते हुए अपना बयान अपने अधिवक्ता के माध्यम से मा० न्यायालय मे देना बता रहे हैं।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु०अ०स० 125/21 धारा 376 भादवि व ३/४ पास्को एक्टथाना रौनापार आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1- अविनाश पुत्र हंसराजनिवासी दयालगंज(सिवान)थाना रौनापार आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक जितेन्द्र कुमार सिंह थाना रौनापार आजमगढ़

2. हे०का०कृपाशंकर सिंह थाना रौनापार आजमगढ़

3.का० राहुल सिंह थाना रौनापार आजमगढ़

4.का०राजू सिंहथाना रौनापार आजमगढ़

5.म०का०जया द्विवेदी थाना रौनापार आजमगढ़